

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

..... बडौआरबीमार्डन स्कूल बदायूँ ।
..... नगरपालिका बदायूँ ।

पत्रांक: व०स०/ ७८२९ /2001-2002 दिनांक ०१/०१/०२
विषय:-- प्राथमिक विद्यालय की भलीन अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

जिला मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर पर ५००० से ५०००० अस्थायी मान्यता दिनांक १-७-२००१ से निम्नलिखित प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है ।

- १- विद्यालय भवन निर्धारित माप का निर्मित कराया जाये ।
- २- समस्त अध्यापक प्रशिक्षित रखे जाय ।
- ३- विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाय ।
- ४- विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाय ।
- ५- अनियमित कक्षाएँ न चलायी जाय ।
- ६- विद्यालय समिति के पंजीकरण का नवीनीकरण नियमित अवधि के उपरान्त तुरन्त करा लिया जाय ।
- ७- समय-समय पर निर्गत विभागीय आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाय ।

उक्त प्रतिबन्धों को पूर्णतः के उपरान्त स्थायी मान्यता हेतु ५ वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य होगा । विभागीय नियमों का पालन न करने एवं किसी प्रकार को अनियमितता पाये जाने पर विद्यालय की अस्थायी मान्यता किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है ।

भवदीय

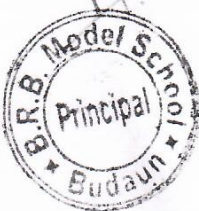
०३/०१/०२
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ ।

पुष्टीकृत संख्या: व०स०/

/2001-2002 दिनांक उक्त

हेतु प्रेषित :-

- १- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूँ ।
- २- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी बदायूँ ।
- ३- जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक अधिकारी एवं जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी बदायूँ ।



B.R.B. MODEL SCHOOL

FOR B.R.B. Model School

Manager

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ ।



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ

सेवा में,

प्रबन्धक

बी.आर.बी. मॉडल जू. हा. स्कूल बदायूँ
बरेली रोड बदायूँ ।

पत्रांक: शि०सं०/ 146-52 /2003-04

दिनांक: 20-4-2004

विषय: अशासकीय उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) विद्यालय की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

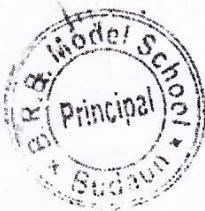
महोदय,

शासनादेश संख्या-646/15-06-97-18(7)/89 दिनांक 13 अगस्त, 1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निरीक्षण अधिकारी की जाँच आख्या एवं संस्तुति तथा मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की अस्थाई नवीन मान्यता, आदेश निर्गत होने की तिथि से छात्र/छात्राओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जनशक्ति में प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति प्रदान की जाती है। शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद अनुमन्य होंगे :-

- 1- प्रधानाध्यापक - एक पद 2- सहायक अध्यापक - 4 पद(त्रिभाषा-एक पद, विज्ञान-एक पद)
3- लिपिक - एक पद 4- चतुर्थ श्रेणी - एक पद(कुल सात पद)

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/विज्ञान/प्रसार/क्राफ्ट/शारीरिक शिक्षा के अध्यापक सम्मिलित होंगे।
उक्त पदों पर नियुक्ति विभागीय नियमानुसार जुलाई, 2004 तक पूर्ण करते हुए इस कार्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम बेजेज ऐक्ट के तहत चैक द्वारा भुगतान करना होगा। शासकीय विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



FOR B.R.B. Model School
Badaun
Manager

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ

पृ०सं०: शि०सं०/

/2003-04

दिनांक: उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली।

